Regarding EPS-95 Pensioners

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे **(मावल) :** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश में 67 लाख ईपीएस-95 पेंशनधारकों की गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ । इसके पहले भी सदन में कई सारे सदस्यों ने इस बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ।

महोदय, देशभर में लाखों ईपीएस-95 के अंतर्गत पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन प्राप्त करते हैं, जो मात्र 1,000 रुपये प्रतिमाह है । आज के समय में इतनी कम राशि में जीवन गुजारना बहुत मुश्किल है । वर्षों की मेहनत के बाद हमारे वरिष्ठ नागरिकों को इतनी कम पेंशन मिलना, उनके साथ अन्यायकारक है ।

ईपीएस-95 पेंशन प्राप्त करने के विषय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्तूबर, 2016 को अपने निर्णय में कर्मचारियों पेंशन योजना- ईपीएस-95 की वास्तविक वेतन-पेंशन दिये जाने की अनुमति दी है । इसके बावजूद, सरकार ने आज तक इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया है । जिस उम्र में इन पेंशनधारकों को राहत मिलनी चाहिए, उस उम्र में उनको दिल्ली में आकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करना पड़ता है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, सरकार से माँग करता हूँ कि ईपीएस-95 पेंशनधारकों की माँग को देखते हुए सरकार कोश्यारी समिति की रिपोर्ट को लागू करके ईपीएस-95 पेंशनधारकों को प्रति माह 9 हजार रुपए पेंशन देने की माँग करता हूँ ।

धन्यवाद ।